

(क) जो 95% मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क संदत्त किया गया है और 5% एथेनोल जिस पर समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या एकीकृत कर, जैसा भी मामला हो, संदत्त किया गया है, के परिमाण द्वारा मिलकर बनेगा ; और

(ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 2796, के अनुपालन में होगा,

वित्त विधेयक, 2018 के उपरोक्त खंड के अधीन उस पर उद्गृहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण – इस सूचना के प्रयोजनों के लिए

(क) “समुचित उत्पाद शुल्क” से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन, वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 110 के अधीन उद्गृहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्गृहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जो तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित है, अभिप्रेत है; और

(ख) “समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और समेकित कर” से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्गृहणीय केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर के रूप में अभिप्रेत है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. 11/2018-Central Excise

G.S.R. 137(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with clause 110 of the Finance Bill, 2018 (4 of 2018), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 5% ethanol blended petrol that is a blend, -

(a) consisting, by volume, of 95% motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 5% ethanol on which the appropriate central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case may be, have been paid; and

(b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 2796,

from the whole of the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable thereon under the aforesaid clause of the Finance Bill, 2018.

Explanation. - For the purposes of this notification, -

(a) “appropriate duties of excise” shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under clause 110 of the Finance Bill, 2018 (4 of 2018) and the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), read with any relevant exemption notification for the time being in force; and

(b) “appropriate central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax” shall mean the central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union

Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(13 of 2017).

[F. No. 334/04/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 12/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 138(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 110 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, 10% एथेनोल सम्मिश्र पेट्रोल को, जो ऐसा सम्मिश्र है, -

(क) जो 90% मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क संदत्त किया गया है और 10% एथेनोल जिस पर समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या एकीकृत कर, जैसा भी मामला हो, संदत्त किया गया है, के परिमाण द्वारा मिलकर बनेगा ; और

(ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 2796, के अनुपालन में होगा,

वित्त विधेयक, 2018 के उपरोक्त खंड के अधीन उस पर उद्बहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण – इस सूचना के प्रयोजनों के लिए

(क) “समुचित उत्पाद शुल्क” से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन, उद्बहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 110 के अधीन उद्बहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्बहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जो तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित है, अभिप्रेत है और

(ख) “समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और समेकित कर” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्बहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर, अभिप्रेत है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. 12/2018-Central Excise

G.S.R. 138(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with clause 110 of the Finance Bill, 2018 (4 of 2018), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 10% ethanol blended petrol that is a blend, -

(a) consisting, by volume, of 90% motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 10% ethanol on which the appropriate central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case may be, have been paid and;

(b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 2796,